*वैश्विक अनिश्चितता के बीच सुदृढ़ विश्वसनीय भारत (ब्रांड इंडिया) का निर्माण**

स्वामीनाथन जे.

भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, श्री दिनेश खारा, विशिष्ट अतिथिगण और बैंकिंग जगत के मेरे सहयोगी, देवियो और सज्जनो।

आप सभी को नमस्कार। मुझे यहां एसबीआई बैंकिंग और आर्थिक सम्मेलन के 10वें संस्करण में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों के उद्योग जगत के नेताओं, प्रमुख अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों के साथ उपस्थित होकर खुशी हो रही है। यह प्रमुख कार्यक्रम प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करने, विचार साझा करने और उद्योग के लिए संभावित समाधान तलाशने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हल्के ढंग से कहें तो, पिछले नौ संस्करणों में इसके मेजबान संस्थान का हिस्सा होने के बाद, अब मुझे इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में बोलने सुअवसर मिला है! इस निमंत्रण के लिए, अध्यक्ष श्री खारा जी का मैं अत्यंत आभारी हूं।

जैसा कि आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने हालिया मौद्रिक नीति प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्लेख किया है, वर्ष 2020 से 2023 शायद इतिहास में 'अत्यंत अस्थिर' अवधि के रूप में दर्ज किया जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था आज कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग क्षेत्र की उथल-पुथल से उत्पन्न ताजा प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ अशांति के एक नए दौर को देख रही है। कुछ बैंक विफलताओं और इसके संक्रामक जोखिम ने वित्तीय स्थिरता और आघात-सहनीयता के मुद्दों को फिर से सामने ला दिया है। इसलिए, इस वर्ष के सम्मेलन का विषय 'वैश्विक अनिश्चितता के बीच सुदृढ़ विश्वसनीय भारत का निर्माण' वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में अत्यधिक सामयिक है।

'विश्वसनीय भारत' शब्द एक राष्ट्र के रूप में भारत की समग्र छवि, धारणा और प्रतिष्ठा को संदर्भित करता है। इसमें देश की संस्कृति, विरासत, अर्थव्यवस्था, नवोन्मेष, पर्यटन और कई प्रकार के तत्व शामिल हैं। आज, मैं विश्वसनीय भारत और वित्तीय क्षेत्र के नजरिए से इसकी सुदृढ़ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा।

बैंकिंग और अर्थव्यवस्था के नजरिए से एक सुदृढ़ विश्वसनीय भारत के निर्माण में वित्तीय स्थिरता, जोखिम प्रबंधन और संकट की तैयारी, मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन के साथ-साथ मजबूत पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन और ग्राहक सुरक्षा द्वारा अनुपूरित अनुकूलशील विनियमन के पहलू शामिल हैं।

आज, पांच साल पहले की स्थिति की तुलना में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र मजबूती से खड़ा है, जो इसकी ताकत और व्यवहार्यता को दर्शाता है। सितंबर 2023 तक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात प्रभावशाली ढंग से 16.8 प्रतिशत पर था, जो इस क्षेत्र के सुदृढ़ता को रेखांकित करता है। सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) 3.2 प्रतिशत पर थीं और निवल एनपीए 0.8 प्रतिशत के साथ दशक के निचले स्तर पर था। आस्तियों पर प्रतिलाभ 1.2 प्रतिशत और इक्विटी पर प्रतिलाभ 12.9 प्रतिशत होने के साथ-साथ लाभप्रदता में वृद्धि लगातार चौथे वर्ष भी जारी है।

2018 की तुलना में जब 12 बैंकों को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के तहत रखा गया था, आज कोई भी एससीबी पीसीए के तहत नहीं है।

जैसा कि हम अपनी वित्तीय प्रणाली की वर्तमान स्थिति को देखते हैं, इस मजबूत स्थिति को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करना भी जरूरी है। सुदृढ़ता की दिशा में हमारी यात्रा प्रभावशाली मेट्रिक्स हासिल करने के साथ समाप्त नहीं होनी चाहिए; इसके लिए सुदृढ़ वित्तीय प्रथाओं, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन, पारदर्शिता और नैतिकता के प्रति निरंतर समर्पण की आवश्यकता होती है। हमें अपने द्वारा हासिल किए गए ऊंचे मानकों को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहने की जरूरत है - यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे वित्तीय संस्थान भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना करने में प्रत्यास्थ (आघात-रोधी) बने रहें।

---

* भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री स्वामीनाथन जे. का भाषण - 28 दिसंबर 2023 – 10वां एसबीआई बैंकिंग और आर्थिक कॉन्क्लेव, मुंबई।

[1] एमपीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस - गवर्नर की प्रारंभिक टिप्पणियां; 08 दिसम्बर 2023

एक जीवंत और प्रत्यास्थ वित्तीय क्षेत्रक किसी देश की संवृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य शर्त है। चूँकि हमारी अर्थव्यवस्था एक विकसित और अनिश्चित समष्टि-आर्थिक माहौल में बढ़ने का प्रयास कर रही है, इसलिए यह जरूरी है कि सामान्य तौर पर वित्तीय प्रणाली आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अनिश्चितताओं के बावजूद प्रत्यास्थ (आघात-रोधी) बनी रहे। हमारे वित्तीय परितंत्र में, एकल बैंकों की ताकत वह आधार है जिस पर वित्तीय सुदृढ़ता (प्रत्यास्थता) की इमारत खड़ी है।

मेरा मानना है कि भविष्य के लिए तैयार एक सुदृढ़ बैंक से जो अपेक्षाएं हैं वे इस प्रकार हैं :

i. **वित्तीय रूप से सुदृढ़** - पर्याप्त पूंजी, चलनिधि और आय के माध्यम से;

ii. **परिचालनात्मक रूप से प्रत्यास्थ** (आघात-रोधी) - ताकि व्यवधान के समय भी ग्राहकों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जा सके, और

iii. **संगठनात्मक रूप से प्रत्यास्थ** (आघात-रोधी) - जोखिमों का शीघ्र अनुमान लगाने और उन्हें कुशलतापूर्वक अवशोषित करने के लिए।

इस संदर्भ में, मैं छह पहलुओं पर चर्चा करना चाहूंगा, मेरी राय में, बैंकों को आगामी समय में इन पर गहराई से विचार करने की जरूरत हो सकती है।

1. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम का प्रभावी प्रबंधन विवेकपूर्ण बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हाल के विनियामक परिवर्तनों, विशेष रूप से, उचित मूल्य लाभ और हानि के सममित उपचार के साथ-साथ एचटीएम पर प्रतिबंध को हटाने से बैंकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो में इस जोखिम को प्रबंधित करने में अधिक लचीलापन मिला है। हालाँकि, ब्याज दर जोखिम की गतिशील प्रकृति को देखते हुए, बैंकों को सक्रिय रूप से इस जोखिम का प्रबंधन और शमन करना चाहिए।

बैंक वर्तमान में जिस बढ़े हुए एनआईएम का लाभ उठा रहे हैं, वह भविष्य में तब कायम नहीं रह पाएगा जब ब्याज दर चक्र उलट जाएगा- जब भी यह भविष्य में हो। ब्याज दर चक्र के चरमोत्कर्ष के दौरान अनुबंधित जमाओं की तुलना में बाहरी बेंचमार्क से जुड़े ऋणों का पुनर्मूल्यन बहुत तेजी से किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप एनआईएम पर दबाव पड़ेगा और अंततः लाभप्रदता बढ़ेगी। इसलिए, ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर जोखिम के अलावा, बैंकों को बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम का भी ध्यान रखना चाहिए।

देनदारियों के मामले में, बैंकों को स्रोतों में विविधता लाने और जमा के उत्पाद मिश्रण को अनुकूलित करने का प्रयास करते हुए अपनी जमा राशि के मूल्य निर्धारण और अवधि को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने का प्रयास करना चाहिए। थोक जमाओं पर अत्यधिक निर्भरता से बचना चाहिए क्योंकि ये ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और कमाई को कम करने के साथ-साथ संकेंद्रण जोखिम को बनाए रखते हैं।

2. कारोबार मॉडल

जैसा कि हाल की वैश्विक घटनाओं ने प्रदर्शित किया है, कभी-कभी, सुरक्षित समझे जाने वाले कारोबार मॉडल भी विफल हो सकते हैं। इसलिए, बैंकों को अपने कारोबार मॉडल में निहित जोखिमों के प्रति सतर्क रहने और उन्हें समय पर न्यूनीकृत करने की आवश्यकता है। ऐसे अच्छे समय में, वित्तीय संस्थानों को उभरते जोखिमों को संभालने के लिए पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करते हुए अपनी विकास योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए। बैंकों और एनबीएफसी के बोर्डों के लिए उपयुक्त क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय एक्सपोजर सीमाएं तय करना और किसी भी क्षेत्रीय संक्रेद्रण, प्रतिकूल चयन या अंडरराइटिंग मानकों के कमजोर पड़ने से बचने के लिए उनकी बारीकी से निगरानी करना अनिवार्य है।

फिनटेक के बीच बढ़ता सहयोग उत्पादों, सेवाओं और कारोबार मॉडल में नवोन्मेष को बढ़ावा दे रहा है। एक महत्वपूर्ण विचार एनालिटिक्स के माध्यम से मॉडल-आधारित ऋण को सावधानीपूर्वक अपनाना है। बैंकों और एनबीएफसी को केवल पूर्व निर्धारित एल्गोरिदम पर भरोसा करने में सावधानी बरतनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये मॉडल मजबूत हैं, नियमित रूप से परीक्षण किए जाएं और मजबूत अंडरराइटिंग मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार पुन: कैलिब्रेट किए जाएं।

3. परिचालनगत सुदृढ़ता

जनता में डिजिटल चैनलों की बढ़ती स्वीकार्यता और उपयोग को देखते हुए, बैंकों और भुगतान प्रणाली सहभागियों के लिए हर समय विभिन्न ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया है।

हाल ही में, अनिर्धारित डाउनटाइम की कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जिससे कई ग्राहकों को असुविधा हुई है। यह भी देखा गया है कि कई बैंक आईटी सिस्टम और आईटी सुरक्षा प्रणालियों की खरीद के लिए निर्धारित बजट को पूरा खर्च नहीं कर रहे हैं। बैंकों को अपनी कारोबारी योजनाओं के अनुरूप अपने आईटी अवसंरचना को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से पर्याप्त संसाधन देने होंगे और उनकी निरंतर उपलब्धता और स्थिरता के लिए उनकी निगरानी भी करनी होगी।

बैंकों और अन्य परितंत्र सहभागियों के पास मजबूत आपदा-रोधी और कारोबार नैरंतर्य योजनाएं होनी चाहिए और समय-समय पर उनका परीक्षण किया जाना चाहिए। इसके अलावा, परिचालनगत प्रत्यास्थता सुनिश्चित करने के लिए आईटी अवसंरचना और माध्यमों को उभरते साइबर खतरों से बचाना होगा। इसलिए मैं दोहराना चाहूंगा कि बैंकों के बोर्ड और आईटी कार्यनीति समितियों को इस मामले में अपनी निगरानी बढ़ाने की जरूरत है।

4. आउटसोर्सिंग जोखिम - तीसरे पक्ष पर निर्भरता का प्रबंधन

यद्यपि हम उन अनेक फायदों को स्वीकार करते हैं जो आउटसोर्सिंग किसी बैंक को प्रदान कर सकती है, जैसे कि लागत बचत और दक्षता में वृद्धि, लेकिन बैंकों के लिए इससे जुड़े जोखिमों के संबंध में सतर्कता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इन जोखिमों में महत्वपूर्ण परिचालनों पर नियंत्रण की संभावित हानि, डेटा सुरक्षा (गोपनीयता)-भंग का जोखिम, तीसरे पक्ष प्रदाताओं पर बढ़ती निर्भरता और सेवा प्रदाताओं के कदाचार से उत्पन्न प्रतिष्ठा-क्षरण की संभावना शामिल है।

जैसा कि आरबीआई ने बार-बार दोहराया है, आउटसोर्सिंग से बैंक अपने किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं होते हैं और वे वसूली एजेंटों सहित अपने सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों के लिए अंततः जिम्मेदार बने रहते हैं। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सेवा प्रदाता सेवाओं के निष्पादन में उसी उच्च मानक आचार का उपयोग करें जो बैंकों द्वारा किया जाता है। बैंकों को किसी भी आउटसोर्सिंग में लिप्त नहीं होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उनके आंतरिक नियंत्रण, कारोबारी आचरण या प्रतिष्ठा कमजोर हों।

5. जलवायु जोखिम

इस बात की भी सराहना की जानी चाहिए कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जब जलवायु परिवर्तन और इसके परिणामस्वरूप होने वाले खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अपनी भौगोलिक, पर्यावरणीय और आर्थिक विशेषताओं के कारण भारत विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। तापमान परिवर्तन के साथ मानसून पैटर्न में परिवर्तनशीलता फसल उत्पादन को प्रभावित करती है और हमारी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती है। कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी भारत में जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं।

जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिम व्यष्टि और समष्टि-विवेकपूर्ण दोनों तरह की चिंताएँ पैदा करते हैं। जलवायु परिवर्तन का जोखिम उन्नत और उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में समान रूप से वित्तीय स्थिरता के प्रति खतरों की दिशा में बढ़ रहा है और परिणामस्वरूप, जलवायु से संबंधित जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए एक उचित ढांचे की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है।

6. ग्राहक सुरक्षा

अंत में, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं ग्राहक सुरक्षा के पहलू पर चर्चा करना चाहूंगा जो कई मायनों में सुदृढ़ और विश्वसनीय भारत के निर्माण का अभिन्न अंग है।

वित्तीय सेवा संस्थान अपने ग्राहकों के कारण अस्तित्व में हैं। वे विनियमित संस्थाओं को अपनी मेहनत की कमाई, अपने सपने और अपनी आकांक्षाएं सौंपते हैं। इसलिए, ग्राहक सुरक्षा और समय पर शिकायत निवारण, विश्वास और विश्वसनीयता की नींव बनाता है, जो विश्वसनीयता की समग्र सुदृढ़ता और प्रतिष्ठा में योगदान देता है।

इसलिए मैं बैंकों से आग्रह करूंगा कि वे इन मुद्दों के मूल कारण की पहचान करके और उनका समाधान कर ग्राहक शिकायत के मुद्दों को हल करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं। ग्राहकों की शिकायतें आंतरिक लोकपाल द्वारा सावधानीपूर्वक जांच के बाद ही खारिज की जानी चाहिए। इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए, विनियमित संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि आंतरिक लोकपाल के पास पर्याप्त संसाधन हैं।

पिछले साल आरबीआई ने डिजिटल माध्यम से क्रेडिट उत्पादों की डिलीवरी और उनकी चुकौती से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए डिजिटल ऋण पर दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ एक मानकीकृत मुख्य तथ्य विवरण की आवश्यकता द्वारा पारदर्शिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है जिसमें वार्षिक प्रतिशत दर, वसूली तंत्र, डिजिटल ऋण / फिनटेक से संबंधित मामलों से निपटने के लिए विशेष रूप से नामित शिकायत निवारण अधिकारी और लुक-अप अवधि का विवरण शामिल होना चाहिए। जुर्माना सहित कोई भी शुल्क या प्रभार, जिसका उल्लेख मुख्य तथ्य विवरण में नहीं किया गया है, विनियमित इकाई द्वारा ऋण की अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर उधारकर्ता से नहीं लिया जा सकता है। हालाँकि, हम अभी भी इन दिशानिर्देशों के अननुपालन के मामले देख रहे हैं, जिसके लिए हमें जहां आवश्यक हो, कारोबारी प्रतिबंध लगाने सहित उचित पर्यवेक्षी कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं उद्योग जगत से ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निवारण पर सभी विनियामक निर्देशों की समीक्षा करने और उनके अनुपालन को मजबूत करने का आग्रह करूंगा।

विनियमन और पर्यवेक्षण की भूमिका

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं विनियमन और पर्यवेक्षण की भूमिका पर भी विचार करना चाहूंगा, जो एक लचीले और स्थिर वित्तीय वातावरण के आवश्यक घटक हैं।

विनियामक ढांचा विवेकपूर्ण मानकों और दिशानिर्देशों को निर्धारित करता है जो क्रेडिट, बाजार, परिचालन और चलनिधि जोखिमों सहित विभिन्न जोखिमों को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आरबीआई अपने विनियमों को, अधिक सिद्धांत आधारित, इकाई उन्मुख बनाने के बजाय गतिविधि उन्मुख और प्रणालीगत जोखिम के स्तर के अनुकूल तैयार करने का प्रयास कर रहा है। एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन पर हालिया पहल, यूसीबी के लिए बहु-स्तरीय दृष्टिकोण और विनियमित संस्थाओं में विनियमों का सामंजस्य, इस विनियामक रुख के उदाहरण हैं।

इसके अलावा, उपभोक्ता ऋण के कुछ खंडों और एनबीएफसी को बैंक ऋण के लिए जोखिम भार में हालिया संशोधन जैसे प्रणालीगत समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रति-चक्रीय समष्टि-विवेकपूर्ण उपायों का भी उपयोग किया जाता है।

पर्यवेक्षी मोर्चे पर, उठाए गए कदमों का उद्देश्य जोखिमों और कमजोरियों की शीघ्र पहचान करना, जोखिमों को कम करने के लिए एक संरचित प्रारंभिक पर्यवेक्षी हस्तक्षेप ढांचे को स्थापित करना, कमजोरियों के मूल कारण पर ध्यान बढ़ाना और वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यवेक्षी कठोरता को सुसंगत बनाना है। उभरते जोखिमों की पहचान करने और इन कमजोरियों को कम करने या प्रबंधित करने के लिए समय पर कार्रवाई के लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं में कमजोरियों का आकलन करने के लिए एक सक्रिय परोक्ष निगरानी तंत्र बनाने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यवेक्षण को अधिक दूरदर्शी, सक्रिय और निवारक बनाना है जो सुदृढ़ता और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा।

निष्कर्ष

संक्षेप में, विश्वसनीय भारत (ब्रांड इंडिया) के लिए बैंकिंग और अर्थव्यवस्था क्षेत्र को प्रत्यास्थ (आघात-रोधी) बनाना, ताकत, स्थिरता और अनुकूलनशीलता की नींव स्थापित करने के बारे में है। इसके लिए वित्तीय संस्थानों, विनियामक निकायों, सरकार और अन्य हितधारकों से समग्र और सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है, ताकि भारत न केवल वैश्विक अनिश्चितताओं का सामना कर सके बल्कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में एक गतिशील और सुदृढ़ (आघात-सहन) सहभागी के रूप में उभर सके।

इसके साथ ही मैं आपको, मुझे आमंत्रित करने और इस मंच पर अपने विचार साझा करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे यकीन है कि इस सम्मेलन के दौरान होने वाला विचार-विमर्श बहुत उपयोगी होगा और सहभागियों के लिए मूल्यवर्धक साबित होगा। ऐसे सुव्यवस्थित कार्यक्रम के लिए आयोजकों को मेरी बधाई। धन्यवाद !